कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर
Ph.No.:-(O) 07836-232227, (R)232230,(F) 233564E_Mail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक / मा.चि. / 327 बैकुण्ठपुर, दिनांक 25 / 02 / 2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 for Amarpur to Chirmiri Road Widening & upgrading area 10.469 ha. Regarding.**

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध / व0सं0अ0) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / भू-प्रबंध / विविध / 115-705 / 757 दिनांक 12.03.2018

2. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 1176 दिनांक 23.03.2018

\-\-\-\-\-\-*\-\-\-\-\-\-

विषयांतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध / व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक - 01 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

- **आपत्ति क्रमांक -1 के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि -**

01. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर कोरिया के पृ0क्र0 / 7172 दिनांक 29.06.2018 द्वारा ग्राम ढोढ़ीबहरा, तहसील बैकुण्ठपुर खसरा क्रमांक 185 रकबा 14.400 हें. भूमि उपलब्ध कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

02. बिन्दु क्रमांक 01 में उक्त वर्णित 14.400 हे. क्षेत्र में से उपयुक्त समतुल्य भूमि 10.469 का चयन कर डी.जी.पी.एस. सर्वे का कार्य पूर्ण किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

03. उक्त चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भूमि वृक्षारोपण हेत उपयुक्त पाई गई। उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

04. उक्त वर्णित उपयुक्त भूमि का सिंचित क्षतिपूर्ति 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न है।

05. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि (समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे.) का अधिसूचना प्रारूप निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कर संलग्न है।

- **आपत्ति क्रमांक -2 के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि -**

01. आपत्ति क्रमांक - 02 के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि From - A Part II के कॉलम नं. 4 (II) में आनलाईन में विदोहन होने वाले वृक्षों की संख्या 464 दर्ज होने के कारण यह है कि विदोहित होने वाले कुल वृक्षों में गर्थक्लास 21-30 के वृक्ष भी शामिल है, जबकि उक्त

ऑनलाइन प्रपत्र में गर्थक्लास 31–40 से ऊपर तक के वृक्षों के कॉलम निहित होने से उक्त अंतर सदृश्य है।

02. गर्थक्लास 21–30 से.मी. के 95 वृक्ष है, जिनका हार्डकॉपी में वृक्षों के गणना पत्रक में वर्णित है। अवलोकन करने की कृपा करें।

03. गर्थक्लास 31–40 से.मी. से अधिक के कूल वृक्षों की संख्या 467 होने चाहिए था, किन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण 464 वृक्ष बताए गए थे, जिसे सुधार कर पुनरीक्षित सही जानकारी तैयार कर ऑनलाईन प्रपत्र एवं हार्डकॉपी सुधार किया गया है।

अतः उक्त समस्त जानकारी की पूर्ति उपरान्त प्रत्येक की छः–छः प्रतियां महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– 1. कलेक्टर जिला–कोरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र (6 प्रति)

2. संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (6 प्रति)

3. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की (6 प्रति)

4. उपयुक्तता प्रमाण पत्र (6 प्रति)

5. अधिसूचना प्रारूप की (6 प्रति)

6. Form-A Part II के कॉलम नं–4(2) में ऑनलाईन प्रपत्र की पुनरीक्षित जानकारी

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

पृष्ठां.क्रमांक / मा.चि. / बैकुण्ठपुर, दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला कोरिया छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग कोरिया,मनेन्द्रगढ़ छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

sd/-
वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर
क्र/ मा0 चि0/ 1791 / अम्बि0 / दि0 – 12/4/19

प्रतिलिपि :- वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल की ओर उपरोक्त वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण में मु.प्र.व.सं. (भू-प्रबंध) [illegible] के आपत्ति क्रमांक (2), तहत प्रस्तुत विदोहित होने वाले वृक्षों की जानकारी एवं Form part II, 4(ii) की जानकारी त्रुटिपूर्ण होना उठाई गई आपत्ति अनुरूप न होने के कारण पुनः आपत्ति का निराकरण करें हेतु : प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर